संख्या–वे0आ0–2-624 / दस–2007–44 / 2001 टी0सी0

प्रेषक,

श्री डी0 दीप्ति विलास,
प्रमुख सचिव, वित्त-II
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ : दिनांक 21 जून, 2007

विषय :– प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के ऐसे सदस्य जिन्हें समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय पदोन्नति वेतनमान अनुमन्यं हो चुका है, उन्हें वाहन चालक ग्रेड–1 के पदों पर समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के परिप्रेक्ष्य में एवं वेतनमानों की विसंगतियों जैसे प्रकरणों पर विचारार्थ गठित मुख्य सचिव समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :

"ऐसे वाहन चालक जिन्हें द्वितीय पदोन्नति वेतनमान के रूप में रु0 4500–7000 का वेतनमान पाये हुये 8 वर्ष अथवा इससे अधिक का समय हो चुका है उन्हें वाहन चालक ग्रेड–1 के उपलब्ध पदों के सापेक्ष समायोजित किया जाये एवं वित्त (वेतन आयोग, अनुभाग–2 के शासनादेश दिनांक 11 मई, 2006 की व्यवस्था को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये ।"

2–उपर्युक्त पदों के वर्तमान पद धारकों का उच्चीकृत वेतनमानों में वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम 22 के उप नियम (दो) (ग) की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3–कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
डी0 दीप्ति विलास,
प्रमुख सचिव, वित्त-II

संख्या–वे0आ0–2-624(1) / दस–2007–44 / 2001 टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार,
उप सचिव।